न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत विविध संख्या : 19/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/369

प्रार्थी:—

नेमीचन्द सिंघवी पुत्र सोहनराज सिंघवी जाति जैन, निवासी बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी 34, मामूलपेट बैंगलोर 560053

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ओमप्रकाश उर्फ कालुराम पुत्र चम्पालाल जाति कलाल (मेवाडा) निवासी कलालों का बास, बगडी नगर तहसील सोजत, जिला पाली
2. ताराचंद दुगड पुत्र नेमीचंद दुगड
3. इन्द्रचंद कोठारी पुत्र शोभचंद कोठारी
4. कन्हैयालाल झामर पुत्र हेमराज झामर
5. भीकमचंद लुकड पुत्र मिश्रीलाल लुकड
   जातियान जैन निवासीयान बगडी नगर, तहसील सोजत हाल सदस्यगण जैन सेवा समाज तेरापंत भवन बगडी नगर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत बगडी नगर।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी."

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी.मेहता।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना—पत्र पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 70/2016 बअनवान ओम प्रकाश बनाम ताराचन्द वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 को रिकॉल करने हेतु पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा मूल पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 बावजूद नोटिस तामिल वक्त बहस असालतन—वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी मूल रूप से बगडी नगर का निवासी है और जैन समाज संघ का सचिव है। जैन समाज संघ के कुछ सदस्यों द्वारा संघ/संस्था के हितों के विपरीत कार्य करते हुए एक अलग संस्था "श्री एस एस जैन बगडी नगर चेरिटेबल ट्रस्ट" बना लिया, जिसके पदाधिकारी भीकमचन्द एवं अशोकचन्द है। संस्था द्वारा ग्राम में निवासियों के हितार्थ कार्य करवाने के फलस्वरूप भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार पर मिसल संख्या 23 के द्वारा पट्टा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 16 जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा में झूठे तथ्यों के आधार पर पंचायत निगरानी पेश और उसमें प्रार्थी सहित अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को अप्रार्थीगण संयोजित किया परन्तु उनके तामिली नोटिस एक जेठूसिंह नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये और दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार उनकी ओर से तामिल किया गया। जबकि प्रार्थी उक्त जेठूसिंह नामक व्यक्ति को जानता तक नहीं है। साथ ही उक्त प्रकरण में संस्था के विपरीत हित रखने वाले व्यक्ति ताराचन्द, भीकमचन्द, कन्हैयालाल की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी, लेकिन प्रार्थी को नोटिस तामिल नहीं होने से उपस्थिति नहीं दे पाया और निर्णय दिनांक 12.12.2017 के द्वारा पट्टा संख्या 16 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् भीकमचन्द एवं अशोकचन्द द्वारा एक रिव्यू प्रार्थना पत्र अपने को जैन समाज संघ के पदाधिकारी बताकर पेश किया किया जबकि वे पदाधिकारी नहीं थे तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थी पक्षकार भी संयोजित नहीं था। भीकमचन्द एवं अशोकचन्द ने केवल खानापूर्ति करने के इरादे से रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे म्याद बाहर होने से खारिज़ किया गया। जैन समाज संघ के वास्तविक सदस्यों को सुनवाई का मौका दिये बगैर जैर निगरानी आदेश दिनांक 12.12.17 पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी को आदेश दिनांक 12.12.17 की जानकारी दिनांक 12.11.2021 को ही हुई और प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर रिव्यू प्रार्थना पत्र के आदेश की जानकारी हुई। इसलिये प्रार्थी द्वारा यह रिकॉल प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) WLC (SC) Civil 599, 2009 AIR SCW 2784, AIR 2022 Supreme Court 3530, AIR 1996 Supreme Court 2592 पेश कर प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकार आदेश दिनांक 12.12.17 को रिकॉल करवाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में कोई तथ्य अथवा कानून नहीं बताये कि क्या जिस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया उसी न्यायालय द्वारा रिकॉल को स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 12.12.17 का रिव्यू हो चुका है तो उसके पश्चात केवल अपील के ही प्रावधान है, रिकॉल पोषणीय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी रिव्यू के बाद रिकॉल के प्रावधान नहीं बताये है। पंचायत निगरानी संख्या 70/2016 में प्रार्थी को जैन सेवा संस्थान के पदाधिकारी के रूप में पक्षकार बनाया है, जिसमें मुख्य पक्षकार संस्था है तथा नोटिस की तामिली हेतु संस्था के मुख्यालय 13 पंथ भवन पर कॉल करके जानकारी दी गयी और यदि इनका मुख्यालय 13 पंथ भवन नहीं है, तो यह तथ्य अधिवक्ता प्रार्थी साबित करे। सभी पक्षकारों को उसी नम्बर से कॉल किया गया और सभी को तामिल होने के पश्चात दो पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता भी आये। साथ ही जब पट्टा संख्या 16 वर्ष 2017 में ही खारिज हो गया तो आपने वर्ष 2019 में संस्था का अन्य रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ और वर्तमान में आप संस्था में पदाधिकारी कैसे हो एवं आपको लगता है कि भीकमचंद व अन्य ने मिलावट की है तो आपने, नयी संस्था जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। पट्टा संख्या 16

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निरस्त होने के बाद भी नयी संस्था, जिसमें आप सदस्य है और आपका नाम क्रम. संख्या 19 पर अंकित है, के द्वारा भीकमचंद व अशोक कुमार को बेचाण करने हेतु नियुक्त किया गया। प्रकरण संख्या 70/2016 में न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है, जिसे पुनः मेरिट पर कैसे सुना जा सकता है। प्रार्थी जिस पट्टे पर पुनः सुनवाई का कह रहे है, वो पट्टा प्रार्थी के व्यक्तिगत नाम से न होकर जैन सेवा संघ के नाम से है और उस समय जो पदाधिकारी थे, उन्हे निर्णित प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में श्री एस एस जैन बगडीनगर चैरीटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने जैन समाज संघ बगडीनगर को अपने में मर्ज होना बताकर ही निगरानी के प्रकरण की पैरवी की थी तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी का कहना है कि नोटिस तामिल नहीं हुआ जबकि नोटिस में अंकित रिपोर्ट को देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि नोटिस तामिल सुदा है। प्रार्थी को नोटिस तामिल होने एवं निर्णय होने के 6 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र लेकर क्यूं व कैसे उपस्थित हुये। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना किसी विधिक आधारों के प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना–पत्र पंचायत निगरानी संख्या 70/2016 बअनवान ओम प्रकाश बनाम ताराचन्द वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 को रिकॉल करवाने हेतु पेश किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 70/2016 में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में संयोजित था और उसे व्यक्तिगत नोटिस तामिल करवाये बिना, जैर निगरानी आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर प्रार्थना–पत्र अप्रत्याक्षित विलम्ब से पेश किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को जैर निगरानी आदेश की जानकारी 12.11.2021 को हुई। हालांकि म्याद किसी भी प्रकरण का एक तकनीकी बिन्दु है, हस्तगत प्रकरण निगरानी याचिका में पारित निर्णय के रिकॉल के सम्बन्ध में है, जो प्रकरण को विशेष प्रकृति का बनाता है, इसलिये हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि सभी पक्षकारो के नोटिस संस्था के पते पर भेजे गये और वहां के कर्मचारी जेठूसिंह द्वारा सम्बन्धित पक्षकार को दूरभाष पर बात करके तामील किये गये। इस सम्बन्ध में मूल पत्रावली संख्या 70/2016 को अवलोकन करने पर यह पाते है कि प्रार्थी के नोटिस पर जेठूसिंह के हस्ताक्षर है और रिपोर्ट अंकित है कि "प्रार्थी हाल बैगलोर दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार उनकी ओर से तामिल किया गया।" यहां पर यह उल्लेखनीय है कि नेमीचन्द सिंघवी के किस नम्बर पर कॉल किया गया उनकी तरफ से इस नोटिस के सम्बन्ध में क्या कथन किये गये यह कहीं अंकित नहीं है, केवल इस आधार पर तामील मान लेना कि संस्था के किसी कर्मचारी ने नोटिस लेकर सम्बन्धित पक्षकार को फोन पर सूचित किया, उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस तरह की तामिली तत्समय प्रभावी सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार विधिवत तामिली की श्रेणी में भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त सभी नोटिस को एक ही तरीके से तामील करवाये गये और सभी पक्षकार एक ही संस्था के सदस्य है और अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन था कि निगरानी जैन सेवा समाज के नाम जारी पट्टे के विरूद्ध थी। यदि सभी पक्षकार एक ही संस्था के सदस्य है तो यह स्वाभाविक है कि सभी सदस्यों के मध्य आपसी तालमेल होता है और सदस्यों के मध्य आपसी सामंजस्य से प्रकरण की जानकारी सभी पक्षकारों को होनी चाहिये, परन्तु निगरानी याचिका में केवल अप्रार्थी ताराचन्द, कन्हैयालाल एवं भीकमचन्द की ओर से ही वकालतनामा पेश किया गया और कन्हैयालाल व नेमीचन्द द्वारा कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी, जो कि प्रकरण में तामिली रिपोर्ट को सन्देहास्पद बनाती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि प्रकरण संख्या 70/16 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र किया जा चुका है, जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को निर्णित किया जा चुका है तो अब रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 70/16 के नोटिस प्रार्थी को तामिल ही नहीं हुये और रिव्यू प्रार्थनापत्र भी प्रार्थी द्वारा पेश न किया जाकर संस्था से विपरीत हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा पेश की गयी। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु मूल रिव्यू प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करने पर पाते है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र जैर समाज संघ बगडी नगर तहसील सोजत, वर्तमान में श्री एस.एस. जैन बगडी नगर, चेरिटेबल ट्रस्ट 18/19 मुखथल स्ट्रीट, चैन्नई के पदाधिकारी भीकमचन्द एवं अशोकचन्द द्वारा पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार श्री जैन समाज संघ बगडी नगर दिनांक 14.08.2019 को श्री एस.एस. जैन बगडी नगर, चेरिटेबल ट्रस्ट 18/19 मुखथल स्ट्रीट, चैन्नई के रूप में रजिस्टर्ड करवायी गयी, जिसके पेज संख्या 6 क्रम संख्या 19 पर प्रार्थी नेमीचन्द का नाम अंकित हैं तथा सम्पूर्ण दस्तावेज में केवल भीकमचन्द और अशोकचन्द कोठारी के ही हस्ताक्षर है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि नेमीचन्द श्री जैन सेवा संघ के पदाधिकारी है परन्तु रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 14.08.2019 के जरिये जो नयी संस्था बनी है उसमें कही पर भी न तो नेमीचन्द के हस्ताक्षर है और न ही नेमीचन्द की सहमति का कोई शपथ–पत्र है और प्रार्थी ने भी इस तथ्य को नकारा है कि वह नयी संस्था का सदस्य नहीं है। इस स्थिति पर यह कहना समीचीन है कि जो रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, उसकी प्रार्थी नेमीचन्द को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 97(3) के तहत किसी निगरानी में पारित आदेश को रिव्यू करने के प्रावधान वर्णित है और इस धारा के तहत प्रार्थी वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में रिव्यू प्रार्थना–पत्र पूर्व में पेश किया जा चुका है और प्रार्थी के कथनानुसार व दस्तावेजों से प्रकट है कि उक्त रिव्यू प्रार्थना–पत्र, नेमीचन्द द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं इस स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 70/16 में प्रार्थी नेमीचन्द को अपना पक्ष रखने एवं अपने समर्थन में तथ्य प्रकट करने हेतु केवल रिकॉल का विकल्प शेष रहता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय में रिकॉल प्रार्थना–पत्र किस स्थिति में पेश किये जाते है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है –

1. पक्षकारों की अनुपस्थिति में आदेश पारित होना।
2. न्यायिक त्रुटि
3. फ्रॉड या धोखाधडी के आधार पर आदेश पारित किया गया हो
4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन
5. यदि आदेश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित हो चुके है कि प्रकरण संख्या 70/16 में पक्षकार नेमीचन्द सिंघवी को विधिक प्रावधानों के तहत नोटिस तामील नहीं हुये है और प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया तथा जो रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश किया गया उसमें भी प्रार्थी पक्षकार नहीं था। यदि न्यायालय ने किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया हो, और वह पक्ष यह साबित कर सके कि उसकी अनुपस्थिति उचित कारणों से थी तो वह रिकॉल प्रार्थना–पत्र दाखिल कर सकता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रमाणित हो चुका है तथा बिना नोटिस तामिल किये अन्तिम आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है। अतः उपरोक्त आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी का रिकॉल प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने का उचित कारण है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना नोटिस तामिली निर्णय पारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) WLC (SC) Civil 599 Nisha Devi vs State of HP & Ors. के अनुसार Trite though it is, we may yet again reiterate that the principle of audialteram partem admits of no exception, and demands to be adhered to in all circumstances. In other words, before arriving at any decision which has serious implications adn consequences to any person, such person must be heard in his defence. We find that the High Court did not notice the violation and infraction of this salutary principle of law. Accordingly, on theis short ground, the impugned Judgments and Orders require to be set aside and are so done. The matter is remanded back to the Divisional Commissioner for taking a fresh decision after giving due notice to the Appallant and affording her an opportunity of being heard. The Divisional Magistrate, Kullu. Shall complete the proceedings expeditiously अर्थात् नैसर्गिक न्याय–सुनवाई का अधिकार–पक्षकार का सुने जाने के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित निर्णय संवहनीय नहीं जिसे अपास्त किया गया–मामला प्राधिकारी की ओर पक्षकार को सुनकर नये सिरे से निर्णय हेतु प्रतिप्रषित किया गया।

इसी प्रकार 2009 AIR SCW 2784 Asit Kumar Kar vs State of West Bengal & Ors. के अनुसार Constitution of India, Art. 14-Natural Justice-No adverse orders should be passed against party without hearing him-This is fundamental principle of natural justice-And basic cannon of Jurisprudence. "The violation of the principles of natural justice renders the act a nullity." इसी प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रिकॉल के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2022 Supreme Court 3530 Anand Kumar vs State of MP अनुसार The High Court rightly found, in effect that it had the inherent power to recall a judgment and/or order which was without

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

jurisdiction or a judgment and/or order passed without hearing a person prejudicially affected by the judgment and/or order. The High Court, however, fell in error in not recalling the order dated 20 octber 2020. The High Court did not address to itself, the question of whether it had jurisdiction to quash a criminal complaint under Section 306 of the IPC, which is a grave non-compoundable offence, entailing imprisonment of ten years, on the basis of a settlement between the parties. The High Court erred in declining the prayer of the Appellant for recalling its order dated 20 October 2020, passed without hearing the wife of the deceased only because the original informant/complainant a cousin brother and an employee of the deceased had been heard. Hearing a cousin-cum-employee of the deceased cannot and does not dispense with the requirement to give the wife fo the deceased a hearing. The wife of the deceased would have greater interest than cousins and employees in prosecuting accused persons charged with the offence of abetting the suicide of her husband. Be that as it may, since the initial order dated 20 October 2020 is also under challenge in these appeals, it is really not necessary for this Court to delve deeper into the quesiton fo whether a final order passed under Section 482 fo the CrPC, quashing an FIR could have, at all, been recalled by the High Court, in the absence of any specific provision in the Cr.P.C.for recall and/or review of such order. The High Court has, in effect, held that in exceptional circumstances, such orders can be recalled, in exercise of the inherent power of the High Court. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त AIR 1996 Supreme Court 2592 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि The judiciary in India also posseses inherent power, specially under Section 151 CPC to recall its judgment or order if it is obtained by Fraud on Court. In the oase of fraud on a party to the suit or proceedings, the Court may direct the affected party to file a separate suit for setting aside the Decree obtained by faud. Inherent powert are powers which are resident in all courts, especially of superior jurisdiction. These powers spring not from legislation but from the nature and the construction of the Tribunals or Courts themseles so as to enable them to maintain their dignity, secure obedience to tis process and rules, protect its officers from indignity and wrong and to punish unseemly behaviour. This power is necessary for the orderly administration of the Court's business. उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर हूबहू चस्पा होती है।

प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट होता है कि जब रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जा चुका था, तो समान अनुतोष रिकॉल प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है ? यह एक विधिक बिन्दु है। इस बिन्दु के अनुक्रम में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णीत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2021 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र जैन समाज बगडी नगर वर्तमान में श्री एस.एस. जैन बगडी नगर, चेरिटेबल ट्रस्ट 18/19 मुखथल स्ट्रीट चैन्नई के पदाधिकारी श्री भीकमचंद पुत्र मिश्रीलाल अध्यक्ष, अशोक कुमार पुत्र शांतिलाल, सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में श्री नेमीचन्द सिंघवी, जो कि इस मामले में बतौर प्रार्थी उपस्थित हुआ है, को पक्षकार संयोजित ही नहीं किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया। इससे यह सुस्पष्ट होता है कि श्री नेमीचंद को उक्त रिव्यू प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी, जबकि मूल निगरानी में उक्त नेमीचन्द बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित था। यदि मूल निगरानी का अवलोकन किया जावे, तो उसमें भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त नेमीचन्द के नाम न्यायालय द्वारा जारी नोटिस सम्यक् तामील नहीं हुए थे। इस कारण वकील प्रार्थी के यह तथ्य प्रबल पाए जाते है कि प्रार्थी को न तो मूल निगरानी याचिका की जानकारी थी एवं न ही रिव्यू प्रकरण की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो निर्णय पारित किया गया, वह निर्णय मियाद के बिन्दु पर किया गया है, जो तकनीकि बिन्दु है। इस प्रकार रिव्यू प्रार्थना पत्र में मेरिट के बिन्दुओं को छूआ नहीं गया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह किस प्रक्रिया एवं प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। इस स्थिति के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 AIR SCW 2784 Asit Kumar Kar vs State of West Bengal & Ors. में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "....There is a distinction between a petition under Article 32, a review petition and a recall petition. While in a review petition the Court considers on merits where there is an error apparent on the face on the record, in a recall petition the Court does not go into the merits but simply recall an order which was passed without giving an opportunity of hearing to an affected party. We are treating this petition under Article 32 as a recall petition because the order passed in the dicision in All Bengal Licensees Association v. Raghabendra Singh & Ors. [2007(11)SCC 374] cancelling certian licences was passed without giving opportunuty of hearing to the persons who had been granted licences." यह न्याय निर्णय प्रकरण हाजा पर पूर्णतः चस्पा होता है, क्योंकि इस मामले में रिव्यू याचिका में गुण–दोष पर विचार किए बिना मात्र तकनीकि आधार पर मामले का निस्तारण किया गया है, जबकि मुख्य रूप से प्रार्थी को मूल निगरानी एवं रिव्यू याचिका में सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। यह स्थिति प्रार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित प्रतीत होती है।

उपरोक्त प्रेक्षणों से यह सुस्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 70/2016 में अप्रार्थी संख्या 5 नेमीचन्द को सम्यक् नोटिस तामिल हुए बिना निर्णय पारित किया और रिव्यू प्रार्थना–पत्र भी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा पेश किया गया जो जरिये अधिवक्ता मूल प्रकरण में उपस्थित थे, यह सम्पूर्ण स्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि नेमीचन्द को अपने हितों से दूर रखते हुये न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रकट कर निर्णय पारित करवाया गया। वैसे भी न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पर्याप्त अवसर देते हुये विधि के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया जाना चाहिये तथा हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि प्रार्थी नेमीचन्द को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया, अब अगर वर्तमान में नेमीचन्द पट्टा संख्या 16 के सम्बन्ध में अपना पक्ष रख कर निर्णय दिनांक 12.12.2017 को गुणावगुण पर पारित करवाना चाहते है तो प्रकरण में पूर्व में दायर रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर पक्षकार को प्रतिरक्षण से रोका जाना न्यायोचित नहीं है, वह भी ऐसी स्थिति में, कि जब

अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

पक्षकार को न तो मूल निगरानी एवं उसमें पारित आदेश का जानकारी रही हो तथा न ही रिव्यू प्रार्थना पत्र एवं उसमें पारित आदेश की जानकारी रही हो। यहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाईल्स इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "ऑडी अल्टरम पार्टम, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का एक हिस्सा है, उसकी जड़ें मुख्य रूप से समानता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विचार में पाई जाती हैं। यह सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि किसी को भी निष्पक्ष और उचित सुनवाई के बिना निंदा, दंडित या उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मनमाने ढंग से निर्णय लेने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त को कायम रखता है, जबकि न्यायसंगत और न्यायसंगत कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।" जैसा कि पूर्व में ही विवेचित किया जा चुका है कि इस मामले में भी जो निगरानी याचिका दायर होकर निर्णीत हुई थी, उसमें प्रार्थी के नाम जारी नोटिस सम्यक् तामील नहीं हुए थे, जिसके कारण प्रार्थी को उक्त प्रकरण एवं इसके पश्चातवर्ती प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। इन कारणों पर प्रार्थी द्वारा मूल निगरानी याचिका में न तों अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा सका एवं न ही अपने हितों की रक्षा हेतु चाराजोही की जा सकी। यह स्थिति विशुद्ध रूप से प्रार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को प्रभावित करती है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना–पत्र के जरिये प्रकरण संख्या 70/16 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.17 को रिव्यू किये जाने हेतु रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 70/16 बअनवान ओमप्रकाश उर्फ कालूराम बनाम ताराचन्द व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 को प्रत्याहृत करते हुए मूल निगरानी याचिका को प्रत्याह्वान (Recall) कर पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। तद्नुसार पालना की जाकर यह पत्रावली मूल निगरानी याचिका संख्या 70/2016 के नत्थी की जावें।

आदेश आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली.